Review Of Research
Vol.1, Issue. 8 , May . 2012
ISSN:-2249-894X Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

प्रतिकर निर्धारण के सिद्वांत की व्याख्या

Sudhir Jain

प्रस्तावना :

प्रतिकर विधिशास्त्र के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा समय–समय पर कई निर्णत वादो में यह निर्धारित किया कि मूल अधिकारो के हनन पर जब पीड़ित पक्षकार, गरीबी, विकलांगता, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण असहाय और पीड़ित हो और वह सामान्य व्यवहार न्यायालयो से अपने अधिकार के उल्लंघन होने पर प्रतिकर ले पाने की स्थिति में न हो।

भारत जेसे देश में जहां अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता और शोषण की पराकाष्ठा है वहां मूल अधिकारो के प्रवर्तन के लिए यदि कोई प्रकिया विहित कर दी जाए तो वह निश्चित रूप से असफल रहेगी और आम जनता इसका लाभ नही उठा पायेगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का उद्देश्य न केवल न्याय प्रदान कराना है, बल्कि वास्तविक लोगो तक इसे पहुंचाना भी है। इसलिए न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया है कि याचिका (तपज) अधिकारिता का प्रयोग मूल अधिकारो का उल्लंघन होने पर तो किया जायेगा, इसके साथ ही मूल अधिकारो के उल्लंघन पर प्रतिकर देने पर न्यायालय याचिका के माध्यम से आदेश, निर्देश या याचिका जारी कर सकेगे।

Keywords – पीड़ित पक्षकार, याचिका अनुच्छेद 21, याचिका अनुच्छेद 32 एवं 226, रूदलशाह का वाद, भीमसिंह का वाद, फर्जी एनकाउंटर।

भूमिका

वर्तमान न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकर विधिशास्त्र के अन्तर्गत कई नये सिद्वांतो की व्याख्या किये है जो प्रतिकर प्रदान करने में न्यायालय की सहायता करते है। इन सिद्वांतो में तथ्य अन्वेषण आयोग (Fact Finding Commission) प्रमुख है। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी विवाद में तथ्यों की जांच नही करते है जो याचिका (writ) अधिकारिता उनके समक्ष आती है। उस पर केवल विधि के प्रश्न पर अपना निर्णय/परीक्षण निर्णित करते है। यदि तथ्यों के प्रश्न पर कोई विवाद होता है तो वह उसे अधिनस्त न्यायालयो के लिए प्रेषित कर देते है और अधिनस्त न्यायालय तथ्यो से संबंधित प्रश्नो पर अपना निर्णय देते है।

भारतीय न्यायालयो ने 1980 के दशक से ही इस पुरानी परम्परागत विधिक सिद्वांत को त्याग दिया कि प्रतिकर केवल व्यवहार न्यायालयो द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में प्रदत्त किया जायेगा, जब व्यक्ति के विधिक अधिकारो का उल्लंघन हुआ हो। भारत का उच्चतम न्यायालय एक साम्या न्यायालय भी है। साम्या विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अनुतोष के नही रहने दिया जायेगा, यदि उसको किसी भी प्रकार की हानि हुई हो।

प्रतिकर निर्धारण के सिद्वांत की व्याख्या सर्वप्रथम रूदल शाह बनाम बिहार राज्य[1] के ऐतिहासिक महत्व के वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकर विधिशास्त्र की भारत में स्थापना की हो सर्वप्रथम क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़ित पक्षकार को धन राशि प्रदान की गई । इस मामले में न्यायालय ने बिहार राज्य को एक कैदी रूदल शाह को 35000/– रूपये प्रतिकर देने का

निर्देश दिया जो राज्य कर्मचारियों के अनुत्तर दायित्वपूर्ण आचरण के कारण सेशन न्यायालय द्वारा 1968 में विमुक्त किये जाने के पश्चात् भी 14 वर्षो तक जेल में पड़ा रहा। बिहार राज्य में व्याप्त दुखद स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुऐ न्यायालय ने रूदल शाह को प्रतिकर देने का आदेश दिया था। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय राज्य के अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्यो द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचने पर प्रतिकर प्रदान कर सकता है।

इसी प्रकार भीम सिंह बनाम जम्मू काश्मीर राज्य[2] मे याचिकाकर्ता पैथर्स पार्टी के जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधान सभा के सदस्य थे। इस मामले में याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 21 में प्रदत्त व्यक्तिगत स्वाधीनता के अधिकार के उल्लंघन होने के कारण 50,000/– रूपये की रकम प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने हेतु आदेशित किया गया। याचिकाकर्ता को दुर्भावना से प्रेरित होकर विधान सभा के सत्र में भाग लेने से वंचित किये जाने एवं अवैध रूप से बन्दी बनाया गया था।

पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम पुलिस कमीश्नर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर[3] के वाद में एक मजदूर को कुछ काम करने के लिये पुलिस स्टेशन लाया गया। मजदूर ने जब मजदूरी मांगी तो उसे इतना मारा और पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य प्रतिकर देने के लिए दायी था और मृतक परिवार को 75,000/– रूपये प्रतिकर देने का निर्देश दिया।

प्रतिकर के सिद्वांत विस्तृत व्याख्या नीलावती वेहरा बनाम उड़ीसा राज्य[4] में की गई है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या किया है कि अनुच्छेद 21 के अधीन सिद्वदोष व्यक्तियो, कैदियो तथा विचाराधीन कैदियो को भी मूल अधिकार प्राप्त है और यदि उनके अधिकारो का राज्य द्वारा या उसके कर्मचारियो द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय को प्रतिकर प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हैं। आगे न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि पुलिस अभिरक्षा या जेल में नागरिको को अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारो से केवल विधि प्रकिया या नियमों के अनुसार ही वंचित किया जाए। प्रस्तुत वाद में मृतक एक 22 वर्ष का व्यक्ति था जिसे पुलिस द्वारा किसी अपराध मैं जांच के संबंध में 1 दिसम्बर को शाम 08 बजे गिरफ्तार किया गया और थाने में बन्द कर दिया गया। थाने में पुलिस कान्सटेबल का पहरा था। 2 दिसम्बर को हथकड़ी लगी हुई दशा में उसकी लाश, जिसके कई चोटे थी, रेल्वे लाईन के किनारे पड़ी पायी गई। न्यायालय द्वारा जांच कराने पर मृतक की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में मारने–पीटने के कारण हुई थी। अतः न्यायालय मृतक की मॉ को, 1,50,000/– रूपये प्रतिकर देने का आदेश दिया।

इन्दर सिंह बनाम पंजाब राज्य[5] के वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तथ्य था कि पंजाब पुलिस पार्टी ने (एक उप कप्तान के नेतृत्व में) सात व्यक्तियों को उनके फार्महाउस से बलपूर्वक अपहरण कर लिया और मार डाला क्योंकि उप कप्तान को यह शंका थी कि उग्र वादियो द्वारा उनके छोटे भाई के अपहरण में उनकी भूमिका थी। न्यायालय के आदेश पर सी. बी.आई. के जांच के पश्चात् उनके खिलाफ अभियोजन आरम्भ किया गया। न्यायालय ने राज्य को 1.5 लाख रूपये उनके विधिक उत्तराधिकारियो को देने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि वाद में जब दोषी व्यक्तियों का पत लग जायेगा तो उक्त रकम जो करदाता द्वारा राज्य को दी जाती है उनसे प्राप्त कर ली जाए।

केवलपती बनाम उ.प्र. राज्य[6] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एक अभियुक्त को जो दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन जेल में रहा था, उसके सह–अभियुक्त द्वारा मृत्यु कारित किये जाने पर उसकी पत्नी को प्रतिकर प्रदान किया, क्येांकि अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन (प्राण) के अधिकार का वांचितीकरण विधि विरूद्व था। एक कैदी को भी जीवन (प्राण) का अधिकार प्राप्त है। उसकी मृत्यु जेल अधिकारियो के उपेक्षा के कारण हुई थी जो उसे समुचित सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे थे। न्यायालय ने उसकी पत्नी और बच्चो को एक लाख रूपये प्रतिकर देने के लिये राज्य को निर्देश दिया।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ[7] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन न्यायाधिपति भवगती द्वारा प्रतिकर विधि शास्त्र के विषय में अनुच्छेद – 32 की व्याख्या करते हुये यह निर्णित किया गया कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत प्रकिया के प्रकार विषय में कोई

प्रारूप न्यायालय द्वारा निर्धारित नही किया गया है। केवल मात्र इतना ही पर्याप्त होगा कि प्रकिया युक्तियुक्त है।

अनुच्छेद 23 के अधीन सरकार का यह एक संविधानिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 23 ने बन्धुआ मजदूर प्रणाली को समापत कर दिया है। इसी उद्देश्य से संसद ने बन्धुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया है।

सहेली बनाम कमिश्नर आफ पुलिस[8] के वाद में एक 09 के वर्ष के बच्चे को जबरदस्ती पुलिस थाने को साफ करने के लिये बुलया गया। इसके पश्चात् जब बालक द्वारा अपनी मजदूरी की मांग की गई तो बच्चे को मारा गया एवं उसको जेल में निरूद्व किया गया और इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली प्रशासन को यह निर्देश दिया कि वह मृतक की मॉ को 75000/– रूपये प्रतिकर प्रदान करे जिसकी मृत्यु पुलिस अधिकारी के मारने के कारण हो गई थी।

इसी प्रकार पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ[9] के वाद में पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को फर्जी ऐनकाउन्टर में मार दिया गया, जबकि यह पाया गया कि वह सामान्य नागरिक थे। इम्फाल पुलिस का यह कार्य प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है अतः न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 10,000/– रूपये प्रतिकर के रूप में दिये जायेंगे। पुनः सवैश्चिय बनाम भारत संघ[10] के वाद में सेना के जवानो द्वारा दो नागरिको को किसी बात पर झगड़ा होने के कारण गोली से मार दिया गया। इन दोनो नागरिको के शव भी नही मिल सके और सेना के द्वारा इनकी हस आपकृतिक मृत्यु के कारण को सैनिक कार्यवाही नही माना गया। न्यायालय द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 01 लाख रूपये प्रतिकर के रूप मं प्रदान की जाएगी क्येांकि यह मानवाधिकारो के घोर उल्लंघन का विषय है और प्रतिकर देने हेतु एक युक्तियुक्त मामला है।

चेयरमैन रेल्वे बोर्ड बनाम चंद्रिकादास[11] के वाद में एक अधिवक्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत पूर्वी रेलवे के अधिकारियो के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर किया, जिसमें उसने हावड़ा रेल्वे स्टेशन के यात्री निवास के एक कमरे में रेल्वे कर्मचारियो द्वारा एक बंग्लादेशी महिला श्रीमती हनीफा खातून के साथ बलात्कार किये जाने के लिए प्रतिकर देने का अनुरोध किया।

उच्च न्यायालय ने पीडित महिला को 10 लाख रूपये का प्रतिकर प्रदान किया।

प्रतिकर निर्धारण के सिद्वांत की व्याख्या करते हुऐ उच्चतम न्यायालय ने बोधिसत्व गौतम बनाम शुभा चकवर्ती[12] के वाद में अन्तरिम प्रतिकर के रूप में निर्णय देकर विधि शास्त्र में प्रतिकर के सिद्वांत को नया आयाम दिया है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय दो सदस्यी खण्डपीठ (न्यायाधीश श्री कुलदीप सिंह एवं न्यायाधीश सगीर अहमद) ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अन्तरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक कि परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोप पर अपना निर्णय नही दे देता है।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यदि न्यायालय प्रथम दृष्टयां आरोप की सत्यता के विषय में संतुष्ट है तो वह अन्तरिम प्रतिकर दे सकता है अतः न्यायालय ने अपीलार्थ को यह आदेश दिया कि वह मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी को 1000/– प्रतिमाह प्रतिकर दे।

उपसंहार

प्रतिकर का सिद्वांत न्यायालयो के द्वारा निर्णित निर्णयो से अस्तित्व में आया है, किन्तु इसके उपबन्ध अप्रत्यक्ष रूप से संविधान में मौजूद रहे। प्रतिकर का सिद्वांत मानवाधिकारो के संरक्षक एवं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या संविधान में अनुच्छेद 32 से उत्पन्न हुई हैं प्रतिकर के सिद्वांत का उदभव सर्वप्रथम खत्री बनाम बिहार राज्य (1981) के वाद में आरम्भ हुआ है इस वाद में विद्वान न्यायमूर्ति भगवती द्वारा प्रतिकर देने के विषय में यह

व्यक्त किया कि ''क्यो नही उच्चतम न्यायालय नवीन साधन और उपकरण उत्पन्न करे जिससे कि ऐसे पीड़ित पक्षकारो को भी युक्तियुक्त न्याय मिल सके जिनका सबसे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मूल अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है।

संदर्भ सूची :–

(1) (1983) 4 एस.सी.सी. 141
(2) (1985) 4 एस.सी.सी. 677
(3) (1989) 4 एस.सी.सी. 730
(4) (1993) 2 एस.सी.सी. 746
(5) (1995) 3 एस.सी.सी. 702
(6) (1995) 3 एस.सी.सी. 600
(7) ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 802
(8) ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 513
(9) ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 1203
(10) (1984) 3 एस.सी.सी. 82
(11) (1994) 2 एस.सी.सी. 1
(12) (1996) 1 एस.सी.सी. 490